राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई–33/सहा.रेडियो./ सीधी भर्ती 2020/एफ–1116/2024/51 दिनांक : 7/2/24

आदेश

श्री पार्थ पण्डया पुत्र श्री लालशंकर पण्डया पता– मु.पो. चितरी तहसील गलियाकोट, डूंगरपुर (राज0) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 6741/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 की पालना में अभ्यावेदन दिनांक 25.10.2023 प्रस्तुत कर सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 का आपरेटीव पार्ट निम्न प्रकार से है:–

In that view of the matter, the present writ petition is disposed of in terms of the judgment passed by the Division Bench of this court in the matter of State of Rajasthan (supra), in light thereof the respondents are directed to consider the case of the petitioner for the post of Assistant Radiographer. The order has been passed based on the submissions made in the petition, the respondents would be free to examine the veracity of the submissions made in the petition and only in case, the averments made therein are found to be correct, the petitioner would be entitled to the relief.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 16/632/आरएसएसबी/एलटीएआर/2020/138 दिनांक 21.5.2021 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त 959 एवं अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त 99 पदों के विरूद्व पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का वरीयता के आधार पर श्रेणीवार गैर अनुसूचित क्षेत्र 732 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 18 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। इनके पदस्थापन की अभिशंषा/अभिस्तावना सूची विभाग को प्रेषित की गई। जिसमें श्री पार्थ पण्डया को अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में चयन किया जाकर चयन सूची विभाग को भिजवाई गई। जिसके संदर्भ में विभागीय जांच कमेटी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र दिनांक 25.09.2020 को जारी होने के कारण अपात्र मानकर नियुक्ति से वंचित रखा गया।

पैरा मेडिकल (लैब टैक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर) भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 के (III) के अनुसार अभ्यर्थी का आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन होना चाहिये किन्तु याचिका संख्या 13922/2017 मंजू बनाम राज्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में आवेदन करना होने एवं दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होने का उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञपित दिनांक 12.06.2020 के बिन्दु संख्या 6 के (III) के अनुसार आवेदन की अन्तिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीयन हेतु आवेदन करने के संबंध में रजिस्ट्रार पैरामेडिकल कौंसिल से रिपोर्ट चाही गई जिसमें राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2023 में याचिकाकर्ता पार्थ पाण्डया द्वारा डाक के माध्यम से आरपीएमसी में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो कौंसिल में दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त होने की सूचना से अवगत कराये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30.07.2020 के बाद दिनांक 04.08.2020 को रजिस्ट्रार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को आवेदन प्राप्त होने से पैरा मेडिकल (लैब टैक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर) भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 के (III) में अंकित शर्त को पूर्ण नही करने के कारण याचि/अभ्यर्थी सहायक रेडियोग्राफर पद पर चयन का पात्र प्रतित नहीं होता है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 की पालना में याचिकाकर्ता श्री पार्थ पण्डया पुत्र श्री लालशंकर पण्डया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दनांक 25.10.2023 पर मेरे द्वारा मनन/विचार करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई–33/सहा.रेडियो./ सीधी भर्ती 2020/एफ–1116/2024/51 दिनांक : 7/2/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
4. डॉ0 बी एम स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर एवं स्टेडिंग केस प्रभारी अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन–जोधपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. श्री पार्थ पण्डया पुत्र श्री लालशंकर पण्डया पता– मु.पो. चितरी तहसील गलियाकोट, डूंगरपुर (राज0)।
7. आदेश पत्रावली।

RajKaj Ref
5479813

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh Kumar Naval
Designation : Director

E:\N.G.LT, ECG, DT & LA\L T\LT Work 2023\ABHYAVADEN 2020-21/2023